न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी— संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या— 26/2024

1. अमीलाल पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला चुरु जरिये मुख्त्यारआम विजयपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
2. हरिसिंह पुत्र बालुराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू जरिये मुख्त्यारआम विजयपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

—अपीलान्ट

बनाम

1. भरत कुमार पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर हाल चैनपुरा तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

—रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या—1

निर्णय दिनांकः—26.11.2025

अपीलांट अमीलाल, हरिसिंह पुत्रगण बालूराम जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ़ जिला चुरू जरिये मुख्त्यारआम विजयपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी बेरासर तहसील राजगढ जिला द्वारा इन्तकाल सं. 1270 दिनांक 08.05.2024 को अपास्त करने बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षपे में तथ[illegible]ार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलान्ट के पिता बालुराम की [illegible]पुरा तहसील नोहर के ख.न. 366/1 की 7.2960 हैक्टर भूमि खरीद [illegible] खातेदारी थी।
2. यह कि बालुराम का सजरा खान—दान निम्न प्रकार से है—

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

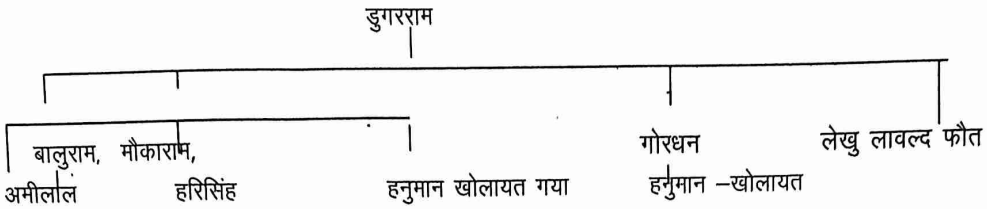

3. बालुराम के जीवन काल में हनुमान अपने ताऊ गोरधन के खोला चला गया तथा गोरधन की मृत्यु के पश्चात उसकी कृषि भूमि व सम्पति हनुमान को विरास्तन प्राप्त हुई तथा राजगढ तहसील के गांव बेरासर की गोरधन की खातेदारी कृषि भूमि का नामान्तरण सं. 147 दिनांक 04.03.1984 से हनुमान ने अपने नाम दर्ज करवा ली है नकल सलग्न अपील है।

4. रोही मौजा चौनपुरा तहसील नोहर की बालुराम की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट ने तहसीलदार को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.07.1984 को विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु पेश किया, जिसमें जायज वारिसान का हवाला दिया गया था व प्रमाण पत्र भी लगाया था किन्तु हनुमान बहुत तेज तर्रार व्यक्ति था। दिनांक 13.02.1985 को विरास्तन नामान्तरण ग्राम पंचायत मन्दरपुरा द्वारा विधि विरूद्व बिना जायज वारिसान की जाँच किये अपराधिक कार्य कर हनुमान का नाम भी दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट की बहिनों ने अपीलान्ट के पक्ष में हिस्सा का त्याग कर दिया था। किन्तु राजस्व रिकार्ड में हनुमान ने विधि विरूद्व बिना हक हकुक के नाम दर्ज करने के कारण पहले तो सदैव कहता रहा है कि दुरूस्ती करवा देगे किन्तु दुरूस्ती करवाने से पूर्व उसका देहान्त हो गया, इस पर अपीलान्ट ने न्यायालय एस.डी.ओ. नोहर में हनुमान मृतक के वारिसान पर एक दावा अमीलाल आदि बनाम भरपाई ने प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया, जिसमें दिनांक 05.02.2019 को स्थगन आदेश जारी किया गया, जो बाद सुनवाई दिनांक 13.07.2021 को स्थगन आदेश कन्फर्म किया गया। जिसकी अपील भरपाई वगैराह ने माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में भरपाई वगैराह बनाम अमीलाल की गयी, जिसमें दिनांक 25.01.2024 को अपील खारिज कर दी गयी व न्यायालय एस. डी.ओ. कोर्ट का निर्णय बहाल रखा गया इसी दौरान राजस्व रिकार्ड में स्थगन का नोट हटाया जाकर फर्जी [illegible] अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा को प्रभावित करने के उद्देश्य से रेस्पोडेन्ट [illegible] रिकार्ड में फर्जी अंकन के आधार पर बैयनामा दिनांक 08.05.2024 को करा [illegible]कृत आदेश पारित कर स्वंत ही नामान्तरण दर्ज उप पंजीयक कार्यालय से ऑन लाईन होने पर तहसीलदार नोहर ने तस्दीक कर अपीलकृत आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:36:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

5. मुल वाद अमीलाल बनाम भरपाई में एस.डी.ओ नोहर में विचाराधीन है जिसमें भरपाई वगैराह को साक्ष्य का काफी मौका दिये जा चुके थे तथा दो बार कोस्ट पर अन्तिम मौका दिया जा चुका था किन्तु अदालत हाजा में वास्ते साक्ष्य उपस्थित नही आये इस से स्पष्ट था कि उन्होने फर्जी तौर पर भूमि अपने नाम स्थगन आदेश के होते हुऐ बिना हक व हिस्से के भूमि तहसीलदार नोहर से मिलीभगत करके अपराधिक कार्य किया है और साक्ष्य नही देना चाहते है व इस पर जब भरपाई वगैराह का भूमि में कोई हक व हिस्सा ही नही था तो वह भूमि किसी प्रकार से रहन/बैय व अथवा मुन्तकिल नही कर सकती थी और स्थगन आदेश भी जारी था तो अपीलकृत आदेश स्वंत ही विधि विरूद्व व अपास्त योग्य है तथा भरपाई वगैराह द्वारा करवाया गया बैयनामा जन्मजात ही शुन्य है दिनांक 06.06.2024 को रेस्पोडेन्ट ने प्रतिवादीगण की जगह न्यायालय एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर मे फरीक बनाये जाने का प्रार्थना पत्र आदेश 1 रूल 10 सीपीसी पेश कि या तब उक्त अपीलकृत आदेश का ज्ञान हुआ। जो निम्न आधार पर निरस्त योग्य है।

(1) अपीलकृत आदेश मातहत अदालत का मनमाना स्वेच्छाचारिता पूर्ण व एक पक्षीय विधि विरूद्व निर्णय है, जो अपास्त योग्य है।

(2) अपीलकृत आदेश में जो भूमि दर्शायी गयी है उसका वाद न्यायालय एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर में बअनवान अमीलाल बनाम भरपाई आदि इश्तकरार हक विचाराधीन है जब तक हक तय नही किये जाते तब तक कोई भी अपनी भूमि दौराने दावा विक्रय नही कर सकता है तथा जब वाद विवाद होतो हल्का पटवारी को रिपोर्ट करनी चाहिए कि वाद विचाराधीन है जो पत्रावली पर नही की गयी तथा जमाबन्दी से स्थगन का नोट तहसीलदार द्वारा हटाया गया तो स्पष्ट था कि वाद चल रहा है जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार भी रेस्पोडेन्ट से मिली भगत किये हुऐ था तथा अपीलान्ट को नुक्शान पहुचाने की नियत रखता था इसी आधार पर अपील स्वीकार योग्य है।

(3) अपीलकृत आदेश पारित करते वक्त मातहत अदालत ने माईण्ड अप्लाई ही नही किया जब स्थगन आदेश जारी था स्थगन आदेश को निरस्त नही किया गया था तो तहसीलदार को किसी अदालत ने स्थगन नोट हटाने के आदेश जारी नही किये गये तो स्वंत ही राजस्व रिकार्ड में स्थगन का नो[illegible]ने की कार्यवाही करना विधि विरूद्व है। इसलिए स्थगन [illegible] जिसके दोषी राजस्व अधिकारी व कर्मचारी है, [illegible] हटाने से पूर्व अपीलान्ट को नोटिस दिया जाना आवश्यक था। इसलिए स[illegible] कार्यवाही एक पक्षीय का विधि विरूद्व कार्य किया है, जो अपास्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

(4) जब सिविल राजस्व न्यायालयो में हक का वाद अथवा दस्तावेज निरस्त अथवा भूमि सम्बधी वाद विचाराधीन हो तो नामान्तरण दर्ज करना विधि विरूद्व है, जो माननीय अपर न्यायालयो की नजीरो से स्पष्ट है इसलिए अपीलकृत आदेश आपास्त योग्य है।

(5) अपीलकृत आदेश का ज्ञान दिनांक 06.06.2024 को न्यायालय एस.डी.ओ कोर्ट नोहर में रेस्पोडेन्टस सं. 2 द्वारा प्रस्तुत आदेश 01 रूल 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र, जो दिनांक 03.06.2024 की लिखा पढ़ी है, वो प्रस्तुत होने पर अपीलान्ट को उक्त अपीलकृत आदेश का ज्ञान हुआ है, जिसकी तुरन्त नकल लेकर व खर्चा की व्यवस्था कर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश कर रहा है।

(6) अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है निश्चित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है।

(7) अपील जरिये मुख्त्यारआम प्रस्तुत की जा रही है जो अपीलान्ट के समस्त अधिकार रखता है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि मातहत अदालत तहसीलदार राजस्व नोहर से अपीलकृत आदेश नामान्तरण सं. 1270 दिनांक 08.05.2024 तलब फरमाया जाकर व उसे अपास्त किये जाने के आदेश फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या–01 ओर से श्री रविन्द्र गोदारा एडवोकेट उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपील अपीलांट अमीलाल, हरिसिंह की ओर से पेश की गई। रोही मौजा चैनपुरा के खसरा नं0 366/1 में 7.2960है0 भूमि नानूराम के नाम से दर्ज रिकार्ड थी। नानूराम के तीन पुत्र हुए। 1. अमीलाल, 2. हरिसिंह 3. हड़मान। हड़मान पुत्र नानूराम अपने ताउ के खोले दिनांक 16.04.1970 को चला गया। खोला जाने के बाद ताउ गोर्वधन की भूमि अपने नाम करवा ली। नानूराम [illegible] के बाद दो वारिस होनें चाहिए थे लेकिन सरपंच द्वारा तीनों पुत्रों को वारिस मानकर विरासतन नामान्तरण दर्ज कर दिया। हड़मान पुत्र नानूराम के फौत होने पर उनके वारिसों के नाम से दर्ज रिकार्ड कर दी गई। दिनांक 05.02.2019 को भरप[illegible] पत्नि हनुमान के विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में दावा पेश किया गया कि दतक पुत्र/खोलायत पुत्र का विरासतन भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:44 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिनांक 05.02.2019 को स्थगन आदेश जारी किया गया। जिसका जवाब प्रार्थना–पत्र द्वारा पेश किया गया अर्थात अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट को स्थगन आदेश का ज्ञान था। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के स्थगन आदेश जारी होनें के बाद भी अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज करवाया गया। स्थगन आदेश की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ में प्रस्तुत की गई। अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ द्वारा खारिज की गई। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का स्थगन आदेश जारी रहा। स्थगन आदेश एंव दावा चलनें के दौरान विरासतन नामान्तरण दर्ज किया जाना गलत है। दावा चल रहा हो तो विरासतन नामान्तरण नहीं किया जाना चाहिए। स्थगन आदेश प्रभावी रहते हुये भरतकुमार द्वारा ज्ञान होते हुये भी बैयनामा करवा दिया

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील म्याद बाहर है। अपील 4 माह बाद पेश की गई। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में वर्ष 2019 से दावा जैरकार है। कोई व्यक्ति 25 वर्ष उम्र में खोलायत/दतक नहीं जा सकता है। पैतृक संपति में हिस्सा सही दिया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 खरीददार है। भूमि पर वर्तमान में काबिज हुँ। हम हितबद्ध पक्षकार है। न्यायालय में अपील पेश करनें में देरी की गई है। अतः अपील खारिज योग्य है। वर्ष 1985 में तस्दीक गोदनामा को आज तक शुन्य नहीं करवाया गया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में वर्ष 2019 से जैरकार दावा का निर्णय होनें पर अपील का कोई औचित्य नहीं है। अपील वर्ष 1986 के मूल विरासतन नामान्तरण की करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली एंव न्यायालय की पत्रावली अध्ययन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 95/2019 अनवान अमीलाल आदि बनाम भरपाई आदि में दिनांक 27.10.2025 को निर्णय पारित कर रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2/3 खसरा नं0 366/1 की 7.2960हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी भरतकुमार का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण अमीलाल, हरिसिंह को ब0हि0ब0 खातेदार घोषित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा [illegible] मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 2/3 खसरा नं0 366/1 की 7.2960 हैक्टेयर भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या–01 भरतकुमार का नाम कलमजन कर दिया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार नोहर द्वारा तस्दीक नामान्तरण संख्या 1270 दिनांक 08.05.2024 कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाकर नामान्तरण संख्या 1270 दिनांक 08.05.2024 को अपास्त किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 26/11/25 को सरेइजलास सुनाया गया

कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़) ... जिला ...

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.02.12 15:56:44 IST
Reason: SelfAttested